5. केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत विषय सहित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संस्कृत छात्रवृति के संबंध में सत्र 2008–09 की मैरिट लिस्ट निर्माण हेतु।

विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त संस्कृत छात्रवृति वर्ष 2008–09 हेतु कक्षा 9 से 12 तक संस्कृत विषय सहित अध्ययनरत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संस्कृत छात्रवृति वितरण हेतु मैरिट लिस्ट का निर्माण तत्काल किया जाना है। भारत सरकार द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। भारत सरकार को बजट स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भिजवाये जा चुके हैं। अतः राशि प्राप्त होते ही छात्रवृति वितरित की जानी है।

पात्रता एवं शर्तें

1 कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए कक्षा 8 वीं की परीक्षा में संस्कृत विषय सहित एग्रीगेट 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

2 कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए कक्षा 10 वीं परीक्षा में संस्कृत विषय सहित एग्रीगेट 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

3 छात्र/छात्रा के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उसे अगले वर्ष की छात्रवृति से वंचित किया जायेगा। (कक्षा 9 अथवा 11)

4 **प्रत्येक जिले में इस प्रकार संस्कृत विषय में उच्चतम अंकों के आधार पर कक्षा 9 एवं 10 में 35 छात्र/छात्रा प्रति कक्षा एवं कक्षा 11 एवं 12 हेतु संस्कृत विषय सहित अध्ययनरत 15 छात्र/छात्रा प्रति कक्षा उच्चतम अंकों के आधार पर छात्रवृति दी जानी है। अतः वरियता सूची इसकी दुगनी संख्या में निर्धारित प्रपत्र में तैयार करें एवं उसे आवश्यक रूप से नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सार्वजनिक करें।**

5 छात्रवृति हेतु इच्छुक एवं पात्र छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन पत्र संलग्न है जिसे समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीन सभी राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक संस्थाओं को पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे तथा संस्था प्रधानों को पालना हेतु निर्देशित करेंगे।

6 छात्रवृति हेतु वरियता सूची के निर्माण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) कमेटी का गठन करेंगे। जिसमें शिक्षा सेवा के दो अधिकारी एवं एक लेखा संवर्ग का अधिकारी आवश्यक रूप से सम्मिलित होगा। समिति के अनुमोदन पश्चात् ही छात्रवृति हेतु वरियता सूची का प्रकाशन होगा।

7 छात्रों की वरियता सूची के अनुसार छात्रवृति का वितरण संस्था प्रधानों को डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जावेगा।

8 छात्रवृति वितरण प्रभावी ढंग से किया जावे एवं वितरण पश्चात् तत्काल अपने जिले का समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से सीधे ही मुख्यलेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करेंगे।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी संस्था प्रधानों को आवेदन पत्र उपलब्ध करवाकर सभी इच्छुक एवं पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र समेकित कर दिनांक 15.08.2008 तक निश्चित रूप से अन्तिम वरियता सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे तथा इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। इसे अतिआवश्यक समझें एवं उपरोक्त निर्देशानुसार ही सम्पूण्र कार्यवाही करें।

प्रपत्र

(वरियता सूची के निर्माण हेतु)

क्र.सं.	नाम छात्र/छात्रा	कक्षा	विद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	संस्कृत विषय में	प्रतिशत (संस्कृत

	एवं पिता का नाम		जहॉ अध्ययनरत है			प्राप्तांक	विषय)
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर समिति सदस्य 1 2 3

दिनांक : हस्ताक्षर, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम)

प्रारूप

कक्षा 9/10/11/12 तक संस्कृत विषय लेकर अध्ययनरत कर रहे मेघावी विद्यार्थियों को भारत सरकार की संस्कृत शिक्षा का विकास योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्रदान करने के लिए

(आवेदन पत्र)

(यह आवेदन पत्र पूर्णतया भर कर विद्यालय के संस्था प्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए)

1 विद्यार्थी का नाम :–

2 पिता का नाम और पूरा पता :–

3 जन्म तिथि :–

4 विद्यालय और कक्षा का नाम जिसमें पढ़ रहा है :–

5 विद्यालय में प्रवेश तिथि :–

6 क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हॉ/नहीं अन्य पिछड़ा वर्ग का है :– अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग

7 विषयों के नाम जो पढ रहा है :–

8 सम्पूर्ण प्राप्तांक का विवरण जो गत वर्ष की कक्षा 8 वीं/9वीं/10वीं/11वीं की वार्षिक परीक्षा में था (प्रत्येक विषय का प्राप्तांक दें)

9 संबंधित कक्षा के प्राप्तांक पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि लगाएं।

प्रार्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित

10 संस्था प्रधान की संस्तुति और अग्रेषण तिथि

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

(टिप्पणी :– शिक्षा विभाग (भारत सरकार) की स्वीकृति पर कक्षा 9–10 को 100/– रूपये प्रति माह की दर से कक्षा 11–12 को 125 रूपये प्रति माह की दर से राज्य सरकार (शिक्षा विभाग) के माध्यम से संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों को छात्रवृति दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) अपने जिले में प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार निश्चित रूप से अन्तिम वरियता सूची का निर्माण कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे तथा एक प्रति निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। छात्रवृति बजट भारत सरकार से प्राप्त होने पर ही देय होगा।

ह. उपनिदेशक, मा. शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।